उपसभापति : एक बार जो मामला सदन में उठ चुका है, वह फिर नहीं उठाया जाता । इसलिए मैं इजाजत नहीं दूंगी । बैठ जाइए . . . (व्यवधान)

THE APPROPRIATION (NO. 5) BILL, 1991

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, except the Minister, nobody else will go on record.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHANTARAM POTDUKHE): Madam Deputy Chairman, I beg to move:

> "That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India, for the services of the financial year 1991-92, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

This Bill arises out of the Supplementary Appropriation charged on the Consolidated Fund of India and Demands voted by the Lok Sabha on the 16th December, 1991.

These involve a gross additional expenditure of Rs. 304.13 crores. This additional requirement of Rs. 304.13 crores comprises Rs. 250 crores for fertiliser subsidy, Rs. 25 crores for establishment of a Corporation for the welfare of Backward Classes, Rs. 20 crores for the project for recovery of Uranium from Thorium Hydroxide, Rs. 15 crores for assistance to public sector enterprises for implementation of voluntary retirement schemes, Rs. 10.85 crores for capital expenditure on telecommunication projects, and Rs. 8 crores for the Geological Survey of India for its operational requirements, etc.

The details of Supplementary Demands are available in the documents laid on the Table of the House on the 13th December, 1991.

The concerned Ministries/Departments have identified matching savings, increased receipts, to the extent of Rs. 304.13 crores. There will, therefore, be no additional cash outgo.

Madam, I request that the Bill be taken into consideration, passed, and returned to the Lok Sabha.

The question was proposed.

उपसभापति : यह बिल हमको एक बजे से पहले पास करना है । आपके 13 मिनट हैं, उससे ज्यादा टाइम आप मत लीजिए और हो सके तो दस मिनट में समाप्त कीजिए ।

श्री शंकर दयाल सिंह : (बिहार) : उपसभापति महोदया, पिछले दिनों इसी सदन में इस गरीब देश का एक अमीर बजट प्रस्तुत किया गया था और उस अमीर बजट में 7,719 करोड़ रुपए का घाटा दिखलाया गया था । अपार साधन और विशाल बाजार के बावजूद भारत विश्व में कहीं टिक नहीं पा रहा है और एक प्रश्नचिह्न हमारे सामने हर जगह खड़ा है । सवाल जवाब जितने भी हो जाएं, जितनी भी बातें सरकार की ओर से की जाएं या जितनी भी बातें विपक्ष की ओर से कही जाएं लेकिन इनकी तह में मैं समझता हूं कि एक ही बात सबसे जरूरी है कि हम ने खुद को नहीं समझा । गांधी जी ने गरीबी दूर करने के लिए जो उपाय बताए थे उनकी हमने बराबर खिल्ली उड़ाई और स्वरोजगार, कुटीर उद्योग और ग्रामीण विकास इनके लिए जो कुछ भी महात्मा गांधी ने आर्थिक उपाय बताए थे और गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने, जे०सी० कुमारप्पा वगैरह ने जो बातें कही थीं, मैं समझता हूं कि आज के अर्थशास्त्रियों और आज के मंत्रियों का उनसे कोई सरोकार नहीं है । नतीजा यह है कि गांधी जी ने कहा था कि गरीबी भगाओ लेकिन हमने कहा कि गरीब भगाओ । मैं समझता हूं कि इस सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

महोदया, ऐसी ही परिस्थितियों में जब देश में बहुत बड़ा आर्थिक संकट है यह विनियोग विधेयक संख्या 5, 1991 हमारे सामने आया है जिसमें मंत्री महोदय ने अभी 3 अरब 4 करोड़ 13 लाख रुपए की मंजूरी हमसे मांगी है । फर्टिलाइजर की महंगाई के बारे में अभी पांच सात आदमियों की कमेटी बनाई गई है ।

[श्री शंकर दयाल सिंह]

उसकी रिपोर्ट आपके पास 6 महीने में आयेगी और आप रिपोर्ट के लिए वेट नहीं कर रह हैं, आपने उसके लिए इसमें राशि मांग ली है । फिर उस कमेटी की क्या बात है? कमेटी इतनी हाई पावरफुल नहीं बनाते । आज जो स्थिति खराब है उसके लिए फर्टीलाइजर के अंतर्गत जो वितरण प्रणाली है और दूसरे आपके जो फर्टीलाइजर कारपोरेशंस हैं उनकी फंक्शनिंग को सबसे ज्यादा दोषी मानता हूं । सबसे पहले जो कारखाना यहां सिंडरी में खुला था उसकी हालत क्या है? उसके एक्सपेंशन के लिए तीन-तीन बार स्कीमें बनी लेकिन उसका एक्सपेंशन नहीं हुआ । कल्याण के लिए आपने 25 करोड़ रुपये मांगे हैं, मैं जरूर इसका स्वागत करता हूं । मुझे खुशी है कल्याण मंत्री श्री सीताराम केसरी इस कल्याणकारी काम में लगे हुए हैं । लेकिन इसके लिए जो इसमें घाटा पड़ा है चाहे कोल माइन्स में हो चाहे किसी और माइन्स में हो, वह अव्यवस्था का प्रतीक है । उस माइन्स के लिए आपने 18 करोड़ रुपये इसी विनियोग विधेयक में मांगे हैं इसका औचित्य क्या है? सच्चाई से जूझने का साहस इस सरकार को करना चाहिए और सच्चाई यह है कि हम उत्पादन नहीं बढ़ा सके । हम फिजूलखर्ची नहीं रोक सके । हम संसाधन नहीं जुटा सके, हम अवमूल्यन नहीं रोक सके, मूल्य वृद्धि पर लगाम नहीं लगा सके, व्यापारियों द्वारा लूट को नहीं रोक सके । साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उत्पादनों पर भी हमने जितने दाम बढ़ाये—चाहे वह लोहा हो, सीमेंट हो, चीनी हो या दूसरी चीजें हों—आज तक उतने दाम कभी नहीं बढ़े थे रेलवे फ्रेट बार-बार बढ़ाकर हम ने इन चीजों के दाम बढ़ा दिये । कोई भी सरकार हो, कोई भी सत्र हो उसमें जब भी आर्थिक बातें की जाती हैं तो अर्थ के साथ-साथ कृषि को जोड़ा जाता है और ग्रामीण विकास की बातें की जाती हैं ।

[उपसभाध्यक्ष (डा० नगेन मैकिया) पीठासीन हुए]

मैं जानना चाहता हूं कि आप जब ग्रामीण विकास की बातें करते हैं तो आप का लक्ष्य उस समय क्या रहता है? देश की आज क्या स्थिति है? मंत्री महोदय आप मुझ से अच्छी तरह जानते होंगे कि हमारा देश कहां जा रहा है या कहां खड़ा है । 42 परसेंट लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं और 48 परसेंट लोग निरक्षर हैं, 84 परसेंट लोग खेती और गृहस्थी में लगे हुए हैं, 77 परसेंट से अधिक लोग ऐसे होंगे जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है । आजादी के बाद हमने 20 हजार करोड़ रुपये नदी घाटी योजनाओं में खर्च किये । 1,560 बड़े-बड़े बांध बांधे । लेकिन उसके बाद क्या हुआ? केवल 30 परसेंट भूमि पर आज सिंचाई होती है हमारे देश में । कृषि जो हमारे देश मे उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है उसमें किसान हमारी इज्जत रख रहे हैं और इज्जत इसलिए रख रहे हैं कि जब भी पंचवर्षीय योजनाओं में एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि 12 मिलियन टन या 13 मिलियन टन इस साल हमारा उत्पादन होगा, किसान उससे एक मिलियन टन ज्यादा उत्पादन करके दिखा देता है। उस किसान के लिए हम क्या करते हैं ? नतीजा यह है कि इस देश की पूरी पूंजी 20 बड़े पूंजीपति घरानों में सिमट कर रह गई है जिनकी कुल सम्पत्ति आज एक लाख करोड़ हो गई है जब कि यह सम्पत्ति 1947 में केवल दस हजार करोड़ थी। दस हजार करोड़ से एक लाख करोड़ है। एक ओर आपने अमीर बनाये और दूसरी ओर गरीबी की हालत यह है, भारद्वाज जी यहां बैठे हुए हैं उन्होंने इसी सदन में एक लिखित प्रश्न के जवाब में गरीबी रेखा के संबंध में खुद कहा है कि 87–88 के आंकड़ों पर आधारित गरीबी की सीमा से नीचे रहने वालों की औसत सबसे अधिक 4 करोड़ 48 लाख उत्तर प्रदेश में, 3 करोड़ 36 लाख बिहार में, 2 करोड़ 24 लाख मध्य प्रदेश में गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हैं । देश में गरीबी की सीमा से नीचे रहने वालों की कुल संख्या 23 करोड़ 768 है । कहने का मतलब यह है कि सरकार स्वयं इस बात को स्वीकार करती है । बिहार, उत्तर प्रदेश

और मध्य प्रदेश की जो फिगर्स दी हैं उसमें बिल्कुल साफ जाहिर है कि वहां की आधी आबादी गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहती है। चाहे किसी तरह की भी चीज आप लायें, मैं यह जानना चाहता हूं कि गरीब लोगों को ऊंचा उठाने के लिए आप क्या कर रहे हैं ? 1991–92 के बजट के बारे में जरा सोचें, केवल उसी को आप देखिये। केवल दिल्ली के लिए आपने 13 अरब रुपये का प्रावधान रखा है, लेकिन सिंचाई के लिए आपने क्या रखा है ? जरा देख कर तो बताइये। मेरी समझ से आपने सिंचाई के लिए केवल साढ़े तीन अरब रुपये रखे हैं। दिल्ली में चकाचौंध पैदा हो, दिल्ली में बिजली के लट्टू जलते रहें, इसके लिए 13 अरब रुपये और पूरे देश में सिंचाई की व्यवस्था के लिए जिसमें सिर्फ 30 प्रतिशत भूमि सिंचित भूमि है उसके लिए यह प्रावधान किया गया है। किसी भी देश की प्राथमिकतायें क्या होती हैं ? हम ऊंचाई से उठकर इस सदन में बतायें कि हमारी प्राथमिकतायें क्या हैं ? शिक्षा, अर्थ-व्यवस्था, कृषि और सामाजिक चेतना और सामाजिक न्याय की बात जब पिछली सरकार ने की थी तो आपने उसकी खिल्ली उड़ाई थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारी प्राथमिकताओं में वह है और जो लोग नीचे हैं उसको ऊपर उठाया जाय। आप नई औद्योगिक नीति लाये। इस औद्योगिक नीति में आपने सर्वसम्मत इस तरह का दिखाया कि जैसे इस औद्योगिक नीति के सहारे आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आपने जो अप्रवासी भारतीय हैं, विदेशों में जो भारतीय रहते हैं उनके लिए काफी छूटें दी हैं। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने यह जो छूट दी है उसका लाभ किसको मिल रहा है। वे अप्रवासी भारतीय जिनको हर तरह से छूट दी गई है, क्या वे भारत में कोई सिंचाई का कार्य करेंगे, क्या बिजली का उत्पादन के कार्य में अपनी पूंजी का निवेश करेंगे, क्या वे लैण्ड सीलिंग में हिस्सेदारी बंटाएंगे ? क्या वे गरीबों और कृषि के लिए जो नये औजार बना रहे हैं उनमें अपनी पूंजी लगाएंगे ? इस तरह से तो केवल वे ही बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आगे बढ़ेंगी जो हमारी अर्थ-व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर रही हैं और बराबर इस सदन में इसके लिए चिन्ता व्यक्त की जाती रही है। परसों रोज वित्त राज्य मंत्री श्री रामेश्वर ठाकुर जी ने, उपसभाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, एक श्लोक के केवल दो अक्षर कहे थे। उन्होंने कहा—ऋणम् कृत्वा, पूरा श्लोक नहीं कहा। हालांकि वे पंडित आदमी हैं, केवल इतना ही कहा। चार्वाक का एक सिद्धान्त है और चार्वाक ने यह कहा था कि—

यावज्जीवेत सुखं जीवेत्,
ऋणम् कृत्वा घृतम् पिवेत् ।।

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : "पामोलीन पिवेत्" कहिये।

श्री शंकर दयाल सिंह : आज इस देश की स्थिति क्या है ? आज इस देश की स्थिति यह है जो मैंने कोट किया, लेकिन उन्होंने पंडित होकर भी एक शब्द कहा—ऋणम् कृत्वा, पूरा श्लोक जो है वह हमने बताया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस देश की नियति क्या है ? यहां पर वित्त मंत्री डा0 मनमोहन सिंह ने यह स्वीकार किया है कि इस साल 1991–92 में जो कर्ज पूरी दुनियां भर से हमने लिया है उसके ब्याज के रूप में 27 हजार 450 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे और 1994–95 में, तीन चार साल के बाद, 1993–94 में, यह राशि आगे बढ़कर 35 हजार करोड़ रुपये हो जाएगी।

[उपसभापति पीठासीन हुई]

जब यह 35 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा तो हमारी अर्थ व्यवस्था का क्या हाल होगा, आप अच्छा तरह से समझ सकते हैं।

उपसभापति : आपका समय खत्म हो गया है, अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री शंकर दयाल सिंह : मैं आपके माध्यम से केवल सरकार से दो-तीन बातें कहना चाहता हूं।

उपसभापति : मुझे महत्वपूर्ण अनाउन्समेंट भी करना है ।

श्री शंकर दयाल सिंह: मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सरकार तीन-चार बातों को प्राथमिकता दे । विनियोग विधेयक आपने पेश किया है। सदन उसको पास कर देगा । बिना इसके आपका काम नहीं चलेगा । लेकिन दो-तीन बातें मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ।

उपसभापति : आपके 13 मिनट कभी के पूरे हो चुके हैं । बैठिये ।

श्री शंकर दयाल सिंह : एक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आप विदेशी कर्जों के मोहताज न बनें । ...(**व्यवधान**).... जवाहरलाल नेहरु ने देश में समाजवाद को अपनाया और जो बड़े बड़े कारखाने थे उनको सार्वजनिक क्षेत्र में खोला और देश में बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए। इनको आप निजी क्षेत्र में लाने का कुचक्र न रचें ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि आप एक नीति अपनायें और वह नीति भारत के लिये गांधी-वादी अर्थ नीति भी हो सकती है । अगर हम दूसरी नीतियों की ओर बढ़ेंगे तो देश को बिल्कुल छिन्न-भिन्न कर देंगे। इसलिये एक बार उसको अपनाकर सरकार देखे कि वह नीति सफल होती है या नहीं ।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि आप कृषि और उद्योग को बराबर का दर्जा दे रहे हैं और जैसा आपने कहा कृषि हमारी अर्थ-व्यवस्था का मूलाधार है । इसलिये आप कृषि को उद्योग का दर्जा दीजिये । उद्योग के लिये आपने 80 प्रतिशत ऋण दिया है....

उपसभापति : कृपया बैठ जाइये ।

श्री शंकर दयाल सिंह : इन शब्दों के साथ मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इंडिया और भारत के भेद को मिटाते हुए शहर और ग्राम, दोनों में आर्थिक संतुलन कायम करते हुए आगे बढ़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं समझूंगा कि गांधी जी का लोक स्वराज्य सही मायनों में सार्थक हो गया है। नहीं तो यह स्वराज्य केवल अमीरों के लिये होगा, गरीबों के लिये नहीं रहेगा, शहरों के लिये होगा, देहातों के लिये नहीं होगा धन्यवाद ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to make an announcement that due to the voting in the other House the Prime Minister would not be able to come at 12-50 p.m., the time I had announced, because, then, at 1 o'clock we will adjourn. So, he will make his statement on foreign affairs after that, I mean at a later time after, lunch. I have to find it out from the PM. He is, in any case, coming over here at 6 o'clock.

श्री शंकर दयाल सिंह: हम लोगों को उस वक्त यहां रहना चाहिये ।

उपसभापति : आप रहें क्योंकि वे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पर जवाब देंगे । वे 6 बजे आयेंगे और उस वक्त यह स्टेटमेंट कर देंगे ।

श्री शंकर दयाल सिंह : 6 बजे ?

उपसभापति : उम्मीद है 6 बजे ।

Now, Mr. Ashis Sen. Mr. Ashis Sen, your party has nine minutes. There is a constraint of time. I will request you, please, to be brief. There are no speakers from the Congress Party. So, only the rest of the people are speaking.

SHRI ASHIS SEN (West Bengal): Nine minutes?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Nine minutes is your time. Please abide by it, or take less. Co-operate with the House.

SHRI ASHIS SEN: I will try to do so.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is for your own good. (*Interruptions*).

SHRI ASHIS SEN: Madam, thank you for giving me an opportunity for speaking on the subject.

Madam, when the Budget was placed, at that time, we were told that there would be no need for coming for any supplementary grants, but we find that within a short time we have been presented with the Supplementary Appropriation Bill.

While going through the Bill I was thinking about what was going to happen with the Communications Ministry. The postal strike is going on for almost nearly a month now. On the question of the special duty allowance, in the entire North-Eastern region there is no postal service only because in the same Ministry, while the Telecommunication Department people have been granted the special duty allowance, the postal employees are being deprived of the same, and they have been forced to go on strike. There is no move on the part of the Ministry to see that there is an end to the state of uncertainty there so far as the postal services are concerned.

I come again on the point of the Health Ministry. On the basis of an assurance, the doctors withdrew their strike. Ten thousand of them were on strike, and some of them are on hunger strike today. Here is a question of the dignity of this House, not only the prestige of the House. The Health Minister should at least come out with a statement that he is going to settle it with them. Because there is no question of money involved here and it is only a question of the promotion policy, I do not understand why there should be so much of hesitation in bringing that stalemate to a conclusion. While talking about the Health Ministry, I may also point out that there is a National institute for physically handicapped and hearing handicapped at Calcutta, which is attending to the entire Eastern and North-Eastern region for physically disabled men children in particular. That institute is there with all the infrastructure and other hospital facilities, but the Health Ministry is not taking care of that. Similarly the Welfare Ministry is not taking interest to ensure that the teaching Institute there could be developed to its full position and serve the people in those regions where it is badly needed.

While talking about industry, we find that BHEL is becoming sick on account of non-availability of Government orders. The public sector institution is gradually getting dried up for want of Government orders. The orders are going to the private companies. Why should it be so? You are aware of the position that the Bengal Potteries has been under the closure position, but because of the High Court order Rs. 115 crores have been paid by way of wages and salaries to the workers. Six years back the Tata Consultancy firm had said that if only about Rs. 15 crores are paid out of the funds of the Government the Bengal Potteries, which is of international repute, can be brought back to a viable position with the workers co-operation. I do not know when Rs. 115 crores can be paid by way of wages, why couldn't Rs. 15 crores be advanced to bring that institution back to a proper working order. Similarly, the Cycle Corporation is facing closure. The National Instruments at Calcutta, which is a very good institution and is manufacturing products of international standard is also being allowed to gradually become sick. It is a planned way of closing down the public sector undertakings. There is no doubt the Government wants to enlarge the private sector, but in the case of the public sector when with small amounts they can make them viable units, why should there be hesitation on the part of the Government to do it? But at the same time we find today in this Bill that Rs. 15 crores have been provided for the voluntary retirement of the workers of Mining and Allied Machinery, the National Industrial Development Corporation, Bharat Yantra Nigam and so on, when the workers are coming forward to improve the productivity and when they want to make these institutions as viable units, I don't know the intention of the

[Shri Ashis Sen]

Government in doing this. At the same time the Finance Minister has spoken the other day that the DA freeze is on card Is it that for the mismanagement and misappropriation of the responsibility given to the Government that the workers have to bear the burden and then gradually the wage squeeze will be there. Is it the process by which you will be able to make a balance between our liabilities and assets? Is it the way by which the Government wants to reduce its deficit? I strongly disapprove this idea. I would request the Minister to see that the position is reversed and the problem does not grow.

By the way, since Madam has not rung the bell, I would make use of it. There is a Teesta Barrage Scheme and a Bramhaputra Barrage Scheme. Almost every year we find there are floods and a large humanity gets submerged under water because they do not get protective facilities. A small amount of about Rs. 30 crores or Rs. 40 crores for the initial work for the Bramhaputra scheme and Rs. 100 crores or Rs. 200 crores for the Teesta Barrage scheme was demanded. The State Government has already spent more than Rs. 300 crores. With a little more money given to them perhaps the hapless people of the region would have been very much saved from the scourge of the floods and devastations and it would have benefited the people by way of irrigation and all that. I would request the Minister to consider the matter and provide sufficient amount to the State Governments both in Assam and in West Bengal so that these two schemes are made successful.

Now about the public distribution scheme. If there is going to be a supplementary demand then why not for improvement of the public distribution system, why don't you povide for it so that the essential commodities are made available to the people throughout the country at fixed price as a result of which it will be possible to keep down the rising prices of these commodities in the market. Since you rang the bell, with these words, I conclude my speech here.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. You took only six minutes out of nine minutes allocated to your party. I would request the next speaker, Mr. Raghavji to abide by my request.

आप भी इनके नक्शे कदम पर चलें तो बहुत मेहरबानी होगी ।

श्री राघवजी (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदया, बजट पेश किये हुए अभी लम्बा समय नहीं हुआ है, इसके बावजूद भी सरकार को विनियोग विधेयक लेकर आना पड़ा है, वैसे हमारे वित्त मंत्री प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और हमारे राज्य वित्त मंत्री जी भी अर्थशास्त्र में काफी दखल रखते हैं, इसके बावजूद भी सारे अनुमान जो पहले निश्चित किये गये थे वे सारे के सारे गलत हो गये हैं ।

सौ दिन में महंगाई घटानी चाहिए थी लेकिन सौ दिन के बजाए दो सौ दिन निकल गये हैं। किसी बजट के बाद इतनी महंगाई नहीं बढ़ी जितनी इस बजट के बाद महंगाई बढ़ी है। कालाधन बाहर निकालने की जो योजनाएं घोषित की गयी थी वे भी असफल हुई हैं। केवल बाहर के जो नानरेजीडेंट हैं उनका पैसा आ रहा है। लेकिन जो दूसरी स्कीमें थीं जैसे कि नेशनल हाउसिंग बोर्ड में पैसा आना चाहिए था स्कीम पूरी तरह से असफल हो गयी, उसमें राशि नहीं आ रही है। इसी प्रकार से कस्टम से जो आमदनी का अनुमान किया गया था उसमें इस बार 3 हजार करोड़ रुपये की आमदनी कम आ रही है । यह कमी एक अप्रत्याशित कमी है । इसके बारे में विचार नहीं हुआ है ।

खाद में दोहरी नीति है । दो प्रकार के मूल्य चल रहे हैं । यह नीति पूरी तरह से असफल हुई है । छोटे किसानों को इससे लाभ नहीं मिल पा रहा है और उनको सस्ती खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सरकारी खर्च में कमी का वायदा किया गया था लेकिन सरकारी खर्चों में

किसी प्रकार की कमी अभी तक नहीं हुई है । यह वायदा भी उनका असफल हुआ है ।

एक करोड़ लोगों को पहले वर्ष में रोजगार देने की बात कांग्रेस के घोषणा पत्र में की गई थी, उसमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाये हैं । ये सारी योजनाएं पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई हैं । बजट किस मंशा से प्रस्तुत किया गया था वह मंशा पूरी नहीं हुई ।

इस बार जो यह विनियोग विधेयक लाया गया है इसमें सबसे ज्यादा पैसा ढाई सौ करोड़ रुपया फर्टिलाइजर के लिए मांगा है । फर्टिलाइजर में जो उनकी एक योजना थी वह असफल हो गयी है। सब्सिडी से जो दो तरह के, दो स्तर के मूल्य रखे गये हैं ये पूरी तरह से असफल हुए हैं । इसमें जो देशी खाद है उसको भी अगर प्रोत्साहन देंगें तो जो कुछ भी कमी है उसकी पूर्ति हो सकती है । गोबर की खाद और हरी खादों को प्रोत्साहन देना चाहिए । इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि सम्पूर्ण हिंदुस्तान में गोहत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाए, गोसंवर्धन के लिए योजना बनायी जाए और उसके साथ साथ गोचर भूमि या चरगाह भूमि को सुरक्षित कर लिया जाए ताकि इस देश में खाद के लिए जो हमको बाहरी आयात पर निर्भर रहना पड़ता है उसमें कुछ कमी आ सके । इससे हमारी बहुत सी विदेशी मुद्रा की बचत हो सकेगी । इससे साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सार्वजनिक उद्योगों में 12 हजार करोड़ रुपये का घाटा प्रतिवर्ष हम उठा रहे हैं । इसके बारे में अभी तक केवल योजनाएं ही बन रही हैं लेकिन क्रियान्वित करने की कोई बात नहीं हुई है जिससे यह घाटा कम किया जा सके । यह घाटा कम किया जाना जरूरी है। इसके साथ साथ सरकारी खर्च बचत की बात की गयी है । मुझे तो इस बात का ताज्जुब होता है कि उसके लिए कौन से कदम उठाये गये हैं । आज भी भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए इस देश में 22 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है । कहां हम खर्च में कटौती करने जा रहे हैं यह मेरी समझ में नहीं आता है । इसी प्रकार से कुछ ऐसी योजनाएं देश में लाग हो रही हैं चल रही हैं जिनका लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच रहा है । वह सारा पैसा भ्रष्टाचार में चला जा रहा है जैसे कि आंगनबाड़ी की योजना है, इसी प्रकार से प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, जितनी सारी योजनाएं हैं इनमें सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है और इनसे किसी प्रकार से भी जनता को लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है । इसलिए इस प्रकार की योजनाओं को चालू रखने से कोई लाभ नहीं है । वेलफेयर के ऊपर अभी यहां पर 25 करोड़ रूपये की मांग की गयी । लेकिन वेलफेयर की जो योजनाएं हैं वास्तव में उनका कोई लाभ नहीं हो पा रहा है । लेकिन जो वास्तव में सही लाभ देने वाली योजनाएं राज्य सरकारें चालू कर रही हैं उनको केन्द्र सरकार मदद देने को तैयार नहीं है । मध्य प्रदेश में गांवों की गरीब महिलाओं के लिए तीन अच्छी योजनाएं चालू की गयी हैं लेकिन उनको केन्द्र सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है । जिनके पास भूमि नहीं है ऐसी भूमिहीन महिलाओं के प्रसव काल के लिए, उसके बाद के संवर्धन के लिए राज्य सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं चलायी हैं । ऐसी योजनाओं को केन्द्र सरकार के द्वारा मदद मिलनी चाहिए। उसके बारे में अभी तक कोई योजना नहीं है ।

इसी प्रकार से हमने फर्टिलाइजर के लिए 250 करोड़ रुपये मांगें हैं ।

उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के तीन राज्य ऐसे हैं, जो भयंकर सूखे से प्रभावित हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान । मध्य प्रदेश के 26 जिले सूखे से प्रभावित हैं । उसकी 98 तहसीलें ऐसी हैं, जिन तहसीलों में छह आने से भी कम फसल पैदा हुई है । रवी की फसल पर बोई नहीं जा सकी । मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने 220 करोड़ रुपये की मांग

[श्री राघवजी]

की है, लेकिन आज तक वहां सर्वेक्षण दल नहीं गया है । इस तरह से यह उपेक्षा वहां पर हुई है । वास्तव में किसानों को इसके माध्यम से लाभ पहुचाने की आज ज्यादा आवश्यकता है । इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

इसी प्रकार, उपसभापति जी, कुछ निर्णय यहां पर राजनितिक होते हैं, जबकि वह तर्कों से बिलकुल हट कर होते हैं । मध्य प्रदेश में से 550 किलोमीटर गैस पाइपलाईन जाती है और पूरी गैस पाइपलाईन बम्बई हाई से लेकर मथुरा तक मध्य प्रदेश में से निकलती है, लेकिन मध्य प्रदेश को एक टन भी उसमें गैस नहीं मिल पा रही है, जबकि मध्य प्रदेश बार-बार मांग कर रहा है कि गैस पर आधारित बिजली का कारखाना उनको ग्वालियर में लगाना है । (समय की घंटी) उसके लिए उनको गैस प्रदान की जाए ।

इसलिए मैं यह मांग करूंगा कि गैस पर आधारित बिजली का कारखाना खोलने के लिए मध्य प्रदेश को स्वीकृति प्रदान की जाए ।

इसी तरह से क्षेत्रीय असंतुलन जो विकास का है, उसे ठीक किया जाना चाहिए ।

अभी सरकार ने जानकारी दी है कि गरीबी की सीमा से नीचे की रेखा पर जो रहने वाले हैं, उसमें मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश ऐसे प्रदेश हैं, जहां पर आधे से अधिक आबादी गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन बिता रही है, लेकिन इन राज्यों को केंद्रीय सरकार किस प्रकार से मदद करे, इस पर आज तक किसी प्रकार का विचार नहीं हुआ है । इस पर विचार किया जाना चाहिए ।

इसके साथ-साथ मेरा यह भी निवेदन है कि हिंदुस्तान में आदिवासी जिस प्रकार की जिंदगी बिता रहे हैं, उनकी जिंदगी में सुधार करने के लिए भी विशेष रूप से मदद की जानी चाहिए । जहां आदिवासी जनसंख्या ज्यादा है, उन प्रदेशों में बिजली और अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए उनको विशेष रूप से मदद प्रदान की जानी चाहिए । लेकिन उसकी इस विनियोग विधेयक में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है ।

इसी तरह से कुछ शासकीय निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट से होते हैं और उसके बाद इनका भुगतान करना पड़ता है, उसके लिए भी इसमें मांगे दी गई हैं । मेरा निवेदन है कि ऐसे प्रकरणों में जहां पर हम न्यायालयों में हारे हैं, उनमें इस बात की जांच जरूरी की जानी चाहिए कि वास्तव में नीचे के अधिकारियों की लापरवाही के कारण तो नहीं हारते, क्योंकि नीचे के अधिकारी जो सब मनमानी करते हैं, इससे हमें आगे जाकर हारना पड़ता है और करोड़ों रुपये शासन को मुआवजा देना पड़ता है । तो इसकी भी जांच किया जाना बहुत आवश्यक है ।

महोदया, मेरा निवेदन है कि आयकर विभाग में जो कंप्यूटर लगाये जा रहे हैं, इससे कई लोगों के बोरोजगार होने की संभावना बढ़ गई है । वहां पर आयकर विभाग में कर गणना के लिए कंप्यूटर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिए इस प्रकार की कोई योजना, जिससे लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़े ऐसी योजना को बंद करना चाहिए ।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI P. UPENDRA (Andhra Pradesh): Madam, what about the statement? What is the final position?

THE DEPUTY CHAIRMAN: The P.M. is making a statement in the Lok Sabha now. We are also waiting because the Constitution Amendment is being passed in the other House. The message is to come here to the Rajya Sabha. We are waiting for that, for two or three minutes. I will ask Ish Dutt Yadavji to speak. (*Interruption*). The P.M. is considering whether he should make the statement at 3 o'clock

when all of you are here for the Constitution Amendment or at 6 o'clock. (*Interruption*). Either at 3 o'clock when we are having the Constitution Amendment here or at 6 o'clock. Everything depends on the Constitution Amendment. लंच आवर तो अभी खत्म हो जायेगा। We are now waiting for the message to come because if the message is not received now, we cannot take up the Constitution Amendment at 2·30 p.m. Ish Dutt Yadavji.

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदया, अभी पांच महीने पहले संसद द्वारा बजट पेश किया गया और दो महीने बाद इस संसद में इस देश के लिए पूरा बजट पेश किया जाएगा और पास भी होगा। इन पांच महीनों के अंदर सरकार द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं इसे सरकार की अदूरदर्शिता, विवेकहीनता और लापरवाही समझता हूं।

1.00 p.m.

क्योंकि सरकार अपने व्यय के बारे में अपनी आमदनी के बारे में सही निर्णय लेने में असमर्थ है और अब इस विधेयक के जरिए भारत की संचित निधि से 304 करोड़ 13 लाख सरकारी सेवाओं के प्रयोजन के लिए लेने की व्यवस्था की जा रही है। महोदया, यह रुपया इसलिए लिया जा रहा है, अनुपूरक बजट इसलिए आया है कि ढाई सौ करोड़ रुपया खाद को सबसिडी के लिए अनुदान के लिए और कुछ सरकारी कर्मचारियों के संबंध में न्यायालय ने जो निर्णय किए हैं उनके वेतन भुगतान के लिए और कुछ कर्मचारी जो निवृतमान हो रहे हैं उनके वेतन भुगतान के लिए है। महोदया, मैं इन सब का विरोध करता हूं और यह जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है जिसका पूरी ताकत के साथ विरोध कर रहा हूं। महोदया, इसलिए विरोध कर रहा हूं कि यह सरकार सदैव किसानों की उपेक्षा करती है। किसानों के साथ कभी भी इस सरकार ने न्याय नहीं किया। चार हजार करोड़ जो खाद का अनुदान था उसको सरकार ने समाप्त कर दिया अब ढाई सौ सकरोड़ रुपया देने के लिए सरकार ने निर्णय किया है। खाद के बारे में सराकर की जो दोहरी नीति है इससे किसान का कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि छोटे काश्तकार के लिए, छोटे किसान के लिए कहा गया कि यह छोटा किसान होने के लिए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा। प्रमाण-पत्र लेने में, महोदया, तहसील से ले करके ब्लाक तक उसको हफ्तों और महीनों दौड़ना पड़ता है, भारी खर्च करना पड़ता है। इसलिए वह मजबूर हो जाता है उस छूट वाली खाद को खरीदने के लिए। महोदया, महात्मा गांधी की की और स्व० चौधरी चरण सिंह जी जो खेती के लिए, किसान के लिए और गांव के लिए जो नीति थी वही नीति इस देश के लिए कारगर हो सकती है। उसी नीति से देश का किसान तरक्की कर सकता है और यह देश आगे बढ़ सकता है। लेकिन सरकार ने महात्मा गांधी जी की नीति को और स्व० चौधरी चरण सिंह जी की नीति को जो किसानों के संबंध में थी, इसकी हमेशा उपेक्षा की है। इसलिए महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि जब तक खेत की पैदावार नहीं बढ़ेगी, किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी, यह देश तरक्की नहीं कर सकता। जब तक खेत का उत्पादन नहीं बढ़ेगा यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। महोदया, इसीलिए मुझे इस बजट का विरोध करना पड़ रहा है।

दूसरा मेरा निवेदन यह होगा कि यह सरकार 44 वर्षों में रोजी, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था नहीं कर सकी। रोजी, रोटी, कपड़ा और मकान की बात तो जाने दें, महोदया, स्वच्छ पेयजल की भी यह सरकार व्यवस्था नहीं कर सकी है और सदैव इस तरह के बजट पास होते रहे हैं इन कल्याणकारी योजनाओं के लिए। महोदया, सरकार की नीति हमेशा किसान विरोधी और गांव विरोधी होती रही है। जीवनोपयोगी वस्तुओं का मूल्य बेतहाशा बढ़ा है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, इस सदन में पूरी चर्चा हो चुकी है, लेकिन यह सरकार महंगाई पर नियन्त्रण करने में पूर्णतया असफल हो गई है। यह सरकार कर्जे की सरकार है। श्री शंकर दयाल सिंह जी श्लोक सुना रहे थे।

[श्री ईश दत्त यादव]

मैं उस श्लोक को नहीं सुनाना चाहता । यह सरकार उसी श्लोक का बराबर पालन कर रही है ।

"यावत जीवेत सुखम जीवेत,
ऋणम् कृत्वा घृतम पिबेत् ।"

इस देश के ऊपर एक लाख सैंतीस हजार करोड़ कर्जा हो गया है और 27 450 करोड़ ब्याज चुकाया जाएगा । अब यह सरकार ब्याज चुकाने के लिए कर्जा ले रही है । आई० एम० एफ० के सामने और विश्व बैंक के सामने इस सरकार ने आत्म-समर्पण कर दिया है । इस सरकार ने इस देश की मर्यादा को गिरवी रख दिया है और इस देश के सम्मान को गिराया है और इस सरकार ने बराबर कर्ज ले करके, बराबर कर्ज ले करके, रुपये का अवमूल्यन किया । मैं इसके विस्तार में भी नहीं जाना चाहता । सरकार ने हमेशा कर्जे ले करके इस देश के सम्मान को ठेस पहुंचाया है।

महोदया, मैं अपनी बात पूर्णकर समाप्त कर रहा हूं कि अगर सरकार फिजूलखर्ची पर कंट्रोल कर ले तो इस तरह से अनुपूरक बजट और विश्व बैंक के सामने घुटने टेकने नहीं पड़ेंगे । महोदया, अभी जब पिछला सत्र समाप्त हुआ तो अपने देश के आधे-से-अधिक मंत्री लोग लंदन और अमेरिका पहुंच गए । मैंने उस समय एक पत्रिका में पढ़ा कि इस समय आधे-से-अधिक अपनी मंत्रिमंडल के लोग लंदन और अमेरिका में हैं । अगर चाहें तो कैबिनेट की बैठक वहां हो सकती है । मैं नहीं समझता कि इतने लोगों को विदेश जाने की और वह भी इकट्ठे जाने की क्या जरूरत पड़ती है ? क्या भारत सरकार का ध्यान कभी इस ओर नहीं गया है ? महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार फिजूलखर्ची को रोक दे तो बजट के ऊपर बहुत कुछ नियंत्रण पाया जा सकता है और हमारी बहुत-सी अधूरी योजनाएं पूरी हो सकती हैं... (**समय की घंटी**).. महोदया, मैं समझ रहा हूं, मेरा समय समाप्त हो गया है । मैं एक मिनिट और बोलूंगा । ... (**व्यवधान**)

उपसभापति : नहीं । आपका समय खत्म हो गया है ।

श्री ईश दत्त यादव : महोदया, आखिर में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि इलाहाबाद में जमुना नदी पर एक सड़क पुल के निर्माण के लिए... (**समय की घंटी**)...

उपसभापति : बस बैठिए । आपका समय खत्म हो चुका है । लोकसभा से मैसेज आया है, बैठ जाइए ।

श्री ईश दत्त यादव : स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने शिलान्यास किया था और महोदया, 1989 में.. (**समय की घंटी**)... वाक्य पूरा हो जाने दीजिए ।

उपसभापति : वाक्य पूरा कीजिए ।

श्री ईश दत्त यादव : श्री वी०पी० सिंह जी ने सार्वजनिक समारोह में घोषणा की थी कि इलाहाबाद में जमुना नदी पर सड़क पुल मार्ग बना दिया जाएगा । योजना आयोग ने इसकी स्वीकृति दे दी है । महोदया, भूतल परिवहन विभाग इस काम को देखता है, लेकिन भूतल परिवहन विभाग की लापरवाही के कारण यह पुल नहीं बन पा रहा है । महोदया, मैं मांग करता हूं कि यह पुल तुरंत

बनवाया जाए क्योंकि घंटो-घंटो रास्ता जाम रहता है जिस के कारण लोगों को आने-जाने में भारी कठिनाई होती है । (समय की घंटी)

उपसभापति : बस वाक्य पूरा हो गया । ग्राडर बठ जाइए यादव जी । अग्रवाल साहब, मैसेज फ्राम लोकसभा

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Constitution (Seventhy-four Amendment Bill, 1991.

SECRETARY-GENERAL: Madam, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

> "In accordance with the provisions of rule 96 of the rules of Procedue and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Constitution (Seventh-fourth Amendment) Bill, 1991, which has been passed by Lok Sabha at its sitting held on the 20th December, 1991, in accordance with the provisions of article 368 of the Constitution of India."

Madam, I lay the Bill on the Table.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned for lunch till 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at eight minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty minutes past two of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

THE CONSTITUTION (SEVENTY-FOURTH) AMENDMENT BILL 1991

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): Mr. Chairman, Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration"

The Bill seeks to make special provisions in the Constitution for a new set-up for the administration of the Union Territory of Delhi, including provisions for the establishment of a Legislative Assembly and a Council of Ministers responsible to such Assembly.

As the House is aware, Delhi is a Union territory administered under Article 239 of the Constitution. Under the existing law, namely, the Delhi Administration Act, 1966, there is a Metropolian Council with elected members and an Executive Council to assist and advise the Administrator in the exercise of his functions other than those in which he is to exercise his discretion. The Metropolitan Council is only an advisory body with no legislative powers. There has been a persistent demand for a representative form of Government in Delhi and also for removing problems faced by the common man, such as mulitiplicity of authorities with overlapping functions. With a view to finding a permanent solution to the problems, the Government appointed a Committee on 24-12-1987 under the Chairmanship initially of Shri Justice R. S. Sarkaria and subsequently of Shri S. Balakrishnan with wide terms of reference to enable it to suggest remedies for the long-standinng problems faced by the people of Delhi. The Committee submitted its report on 14th December, 1989.

The Committee had gone into the matter in great detail and considered the various issues in all their aspects after examining the memoranda received by it from various persons and holding detailed discussions with individuals, representatives of institutions and political parties, eminent citizens, experts and knowledgeable persons with long experience in administration and public affairs. It also examined the details of the arrangement made in the National Capitals of other countries with a federal set-up and took note of the views expressed in the debates in the Constituent Assembly and Houses of Parliament